



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17032022-234288  
CG-DL-E-17032022-234288

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1158]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 17, 2022/फाल्गुन 26, 1943

No. 1158]

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 17, 2022/PHALGUNA 26, 1943

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 मार्च, 2022

**का.आ. 1198(अ).**—सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2 में का.आ. सं. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 द्वारा प्रकाशित भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है) के अनुसरण में राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण त्रिपुरा (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकरण, त्रिपुरा कहा गया है) का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:-

1.	डॉ. जाहारलाल साहा, धलेश्वर, पी.पी धलेश्वर रोड न. 15, अगरतला, त्रिपुरा-799007	अध्यक्ष;
2.	डॉ. सब्यसाची दासगुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ फोरेस्ट्री एंड बायोडायवर्सिटी, त्रिपुरा यूनिवर्सिटी (ए सेंट्रल यूनिवर्सिटी), सूर्यमनीनगर, अगरतला, त्रिपुरा-799022	सदस्य;
3.	निदेशक, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी एंड एन्वायरमेंट, गर्वनमेंट ऑफ त्रिपुरा	सदस्य-सचिव।

2. प्राधिकरण, त्रिपुरा के अध्यक्ष और सदस्य राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे।
3. प्राधिकरण, त्रिपुरा ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगा जो उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट हैं।
4. प्राधिकरण, त्रिपुरा अपने विनिश्चय त्रिपुरा राज्य के लिए पैरा 5 के अधीन गठित राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति की सिफारिशों के आधार पर अपने विनिश्चय देगा।
5. केन्द्रीय सरकार, प्राधिकरण, त्रिपुरा की सहायता के प्रयोजन के लिए त्रिपुरा राज्य सरकार के परामर्श से राज्य स्तरीय विशेषज्ञ अंकन समिति, (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् एस.ई.ए.सी., त्रिपुरा कहा गया है) का गठन करती है जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:--

1.	डॉ. उमेश मिश्रा, डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, एनआईटी अगरतला, जिरानिया, वेस्ट, त्रिपुरा-799046	-अध्यक्ष;
2.	डॉ वाई.वी. कृष्णाह, एसोसिएट प्रोफेसर एंड हैड, डिपार्टमेंट ऑफ जिओग्राफी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, त्रिपुरा यूनिवर्सिटी, सूर्यमनीनगर, अगरतला, त्रिपुरा-799022	सदस्य;
3.	डॉ. सुखेन चंद्रा दास, असिस्टेंट प्रोफेसर, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, गर्वनमेंट ऑफ त्रिपुरा	सदस्य;
4.	श्री स्वपन कुमार दास, चीफ इंजीनियर रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, गर्वनमेंट ऑफ त्रिपुरा, पी.एन. कॉम्पलेक्स, अगरतला, वेस्ट त्रिपुरा-799006	सदस्य;
5.	डॉ. साईकात दास शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, दशरथा देव मेमोरियल कॉलेज, खोवई, त्रिपुरा	सदस्य;
6.	डॉ. थिरु सेल्वम, एसिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ फोरेस्ट्री एंड बायोडायवर्सिटी, त्रिपुरा यूनिवर्सिटी, सूर्यमनीनगर, अगरतला, त्रिपुरा-799022	सदस्य;
7.	डॉ. सम्राट गोस्वामी, एसिस्टेंट प्रोफेसर, (स्टेज-II), डिपार्टमेंट ऑफ रूरल स्टडीज त्रिपुरा यूनिवर्सिटी, सूर्यमनीनगर, अगरतला, त्रिपुरा-799022	सदस्य;
8.	डॉ शओन राय चौधुरी, प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, त्रिपुरा यूनिवर्सिटी, सूर्यमनीनगर, अगरतला, त्रिपुरा-799022	सदस्य;
9.	डॉ अर्जुन कुमार डे, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, त्रिपुरा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, नरसिंहगढ़, अगरतला, वेस्ट त्रिपुरा।	सदस्य;

10.	डॉ. विश्वजीत लाहिरी, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सटेंशन एंड सोशल साइंसेज, कॉलेज ऑफ फिशरीज, सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी (इम्फाल), लेम्बूचेरा, अगरतला, त्रिपुरा-799210	सदस्य;
11.	डॉ. मिहिर कुमार दास, साइंटिस्ट-सी, त्रिपुरा, स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड	सदस्य सचिव।

6. एस.ई.ए.सी., त्रिपुरा के अध्यक्ष और सदस्य इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे।

7. एस.ई.ए.सी., त्रिपुरा ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगी और ऐसी प्रक्रियाओं का पालन करेगी जो उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट हैं।

8. एस.ई.ए.सी., त्रिपुरा सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर काम करेगी और अध्यक्ष प्रत्येक मामले में सर्वसम्मति पर पहुंचने का प्रयास करेगा और यदि सर्वसम्मति पर नहीं पहुंचा जा सकता है तो बहुमत का मत अभिभावी होगा।

9. हितों के टकराव से बचने के लिए-

(क) प्राधिकरण, त्रिपुरा और एस.ई.ए.सी., त्रिपुरा के अध्यक्ष और सदस्य यह घोषित करेंगे कि वे किस परामर्श संगठन और परियोजना के प्रस्तावक से भी जुड़े हैं;

(ख) प्राधिकरण त्रिपुरा और एस.ई.ए.सी., त्रिपुरा के अध्यक्ष और सदस्य किसी परियोजना के लिए पर्यावरणीय समाघात निर्धारण (ईआईए) पर्यावरण प्रबंधन योजना की तैयारी के लिए कोई परामर्श या सहयोगी नहीं लेंगे, जो उनके कार्यकाल के दौरान प्राधिकरण, त्रिपुरा और एसईएसी, त्रिपुरा द्वारा मूल्यांकन किया गया; तथा

(ग) यदि पिछले पांच वर्षों में, अध्यक्ष या प्राधिकरण, त्रिपुरा और एस.ई.ए.सी., त्रिपुरा के किसी भी सदस्य ने किसी परियोजना प्रस्तावक के लिए परामर्श सेवाएं प्रदान की हैं या ईआईए अध्ययन आयोजित किया है, तो उस स्थिति में वे स्वयं को ऐसे समर्थकों द्वारा प्रस्तावित किसी भी परियोजना के मूल्यांकन की प्रक्रिया में प्राधिकरण, त्रिपुरा और एसईएसी, त्रिपुरा की बैठक बचाव करेंगे।

10. त्रिपुरा राज्य सरकार, प्राधिकरण त्रिपुरा और एस.ई.ए.सी., त्रिपुरा के लिए सचिवालय के रूप में कार्य करने के लिए किसी अभिकरण को अधिसूचित करेंगी और सभी वित्तीय और संभार तंत्र संबंधी सहायता, जिसके अंतर्गत वास-सुविधा, परिवहन और उनके सभी कानूनी कृत्यों की बाबत अन्य सुविधाएं भी हैं, उपलब्ध कराएगी।

11. प्राधिकरण, त्रिपुरा के अध्यक्ष और सदस्यों तथा एस.ई.ए.सी., त्रिपुरा के अध्यक्ष और सदस्यों की बैठक की फीस, यात्रा भत्ता और मंहगाई भत्ता त्रिपुरा राज्य सरकार के नियमों के अनुसार संदत्त किया जाएगा।

[फां. सं. आईए3-1/2/2021-आई.ए. III]

डॉ. सुजीत कुमार बाजपेई, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE****NOTIFICATION**

New Delhi, the 17th March, 2022

**S.O. 1198(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and in pursuance of the notification of the Government of India, in the erstwhile Ministry of Environment and Forests, published in the Gazette of India, Extraordinary, part II, vide number S.O.1533(E), dated the 14<sup>th</sup> September, 2006 (hereinafter referred to as the said notification), the Central Government hereby constitutes the State Level Environment Impact Assessment Authority, Tripura (hereinafter referred to as the Authority, Tripura) comprising of the following persons, namely:-

1.	Dr. Jaharlal Saha, Dhaleswar, P.P. Dhaleswar Road No. 15, Agartala, Tripura-799007	Chairman;
2.	Dr. Sabyasachi Dasgupta, Associate Professor, Deptt of Forestry & Biodiversity, Tripura University (A Central University), Suryamaninagar, Agartala, Tripura-799022	Member;
3.	Director, Department of Science, Technology & Environment, Government of Tripura.	Member Secretary.

2. The Chairman and Members of the Authority, Tripura shall hold office for a term of three years from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

3. The Authority, Tripura shall exercise such powers and follow such procedures as specified in the said notification.

4. The Authority, Tripura shall take its decision on the recommendations of the State Level Expert Appraisal Committee, Tripura constituted under paragraph 5 of this order.

5. For the purpose of assisting the Authority, Tripura, the Central Government, in consultation with the Government of Tripura, hereby constitutes the State Level Expert Appraisal Committee (hereinafter referred to as SEAC), Tripura comprising of the following persons, namely:-

1.	Dr. Umesh Mishra, Department of Civil Engineering, NIT Agartala, Jirania, West, Tripura – 799046	Chairman;
2.	Dr. Y.V. Krishnaiah, Associate Professor & Head, Department of Geography and Disaster Management, Tripura University, Suryamaninagar, Agartala, Tripura - 799022	Member;
3.	Dr. Sukhen Chandra Das, Assistant Professor, College of Agriculture, Government of Tripura	Member;
4.	Shri Swapan Kumar Das, Chief Engineer Rural Development Department, Government of Tripura, P.N. Complex, Agartala, West Tripura – 799006	Member;
5.	Dr. Saikat Das Sharma, Assistant Professor, Department of Chemistry, Dasaratha Dev Memorial College, Khowai, Tripura	Member;
6.	Dr. Thiru Selvan, Assistant Professor, Department of Forestry and Biodiversity, Tripura University, Suryamaninagar, Agartala, Tripura-799022	Member
7.	Dr. Samrat Goswami, Assistant Professor (Stage-II), Department of Rural Studies Tripura University, Suryamaninagar, Agartala, Tripura-799022	Member;
8.	Dr. Shaon Ray Chaudhuri,	Member;

	Professor, Department of Microbiology, Tripura University, Suryamaninagar, Agartala, Tripura-799022	
9.	Dr Arjun Kumar De, Assistant Professor, Department of Chemistry, Tripura Institute of Technology, Narsingarh, Agartala, West Tripura.	Member;
10.	Dr. Biswajit Lahiri, Associate professor, Department of Extension and Social Sciences, College of Fisheries, Central Agricultural University (Imphal), Lembucherra, Agartala, Tripura-799210	Member;
11.	Dr. Mihir Kr. Das, Scientist-C, Tripura State Pollution Control Board	Member Secretary.

6. The Chairman and Members of SEAC, Tripura shall hold office for a term of three years from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

7. The SEAC, Tripura shall exercise such powers and follow such procedures as specified in the said notification.

8. The SEAC, Tripura shall function on the principle of collective responsibility and the Chairman shall endeavour to reach a consensus in each case, and where no consensus is made, the view of the majority shall prevail.

9. In order to avoid any conflict of interest –

- the Chairman and Members of the Authority, Tripura and SEAC, Tripura shall declare as to which consulting organisation they have been associated with and also the project proponents;
- the Chairman and Members of the Authority, Tripura and SEAC, Tripura shall not undertake any consultation or associate with preparation of Environmental Impact Assessment (EIA) Environment Management Plan for a project, which is to be appraised by the Authority, Tripura and SEAC, Tripura during their tenure; and
- where in the preceding five years, the Chairman or any of the Members of the Authority, Tripura and SEAC, Tripura have provided consultancy service or conducted EIA study for any project proponent, in that case he shall recuse himself from the meeting of the Authority, Tripura and SEAC, Tripura in the process of appraisal of any project being proposed by such proponent.

10. The Government of Tripura shall notify an agency to act as Secretariat for the Authority, Tripura and SEAC, Tripura and the Secretariat shall provide all financial and logistic support including accommodation, transportation and such other facility in respect of all his statutory functions.

11. The sitting fee, travelling allowance and dearness allowance to the Chairman and Members of the Authority, Tripura and SEAC, Tripura shall be paid in accordance with the rules of the Government of Tripura.

[F. No. IA3-1/2/2021-IA.III]

Dr. SUJIT KUMAR BAJPAYEE, Jt. Secy.